

कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, सामान्य वनमण्डल बड़वाह, जिला – खरगोन (म.प्र.)

दूरभाष क्रमांक-कार्यालय-(07280) 222154 ई मेल dfotbwaha@mp.gov.in

क्रमांक/मा.चि./2025/593
प्रति,

बड़वाह, दिनांक 27.1.2025

परियोजना निदेशक,
भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण,
परियोजना क्रियान्वयन इकाई, खण्डवा
मध्यप्रदेश

विषय:- खरगोन जिले के बड़वाह वनमण्डल में इन्दौर-एदलाबाद (धनगांव से बोरगांव सेक्शन) के फोरलेन निर्माण/चौडीकरण हेतु 3.20 हेक्टेयर वनभूमि (पूर्व में आवेदित 4.138 हे.) भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, खण्डवा को उपयोग पर देने बाबत। (ऑनलाईन प्रकरण क्र./FP/MP/ROAD/152561/2022)

- संदर्भ:- 1. भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, भोपाल के पत्र दिनांक 08.07.2024
2. वनमण्डलाधिकारी, सामान्य वनमण्डल खण्डवा का पत्र क्रमांक/मा.चि./2025/68 खण्डवा, दिनांक 07.01.2025

---000---

उपरोक्त विषयांतर्गत निवेदन है कि संदर्भित पत्र क्रमांक 01 के द्वारा भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय भोपाल के पत्र दिनांक 08.07.2024 के द्वारा अधिरोपित शर्तों के अनुक्रम में इन्दौर-एदलाबाद (धनगांव से बोरगांव सेक्शन) के फोरलेन निर्माण/चौडीकरण के लिए वनमण्डल बड़वाह की 3.20 हे. आरक्षित वनभूमि उपयोग की सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान की गई है।

वनमण्डलाधिकारी, सामान्य वनमण्डल खण्डवा के संदर्भित पत्र के द्वारा लेख किया गया है कि वनमण्डल बड़वाह की प्रभावित 3.2 हेक्टेयर वनभूमि उपयोग के बदले वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु कलेक्टर खण्डवा के आदेश क्रमांक/18502/वाचक कले./2024 दिनांक 17.12.2024 के द्वारा तहसील छैगांवमाखन ग्राम मोघट की शासकीय भूमि खसरा नंबर 291, रकबा 376.350 हेक्टेयर में से पैकी रकबा 3.20 हेक्टेयर वन विभाग को वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु आवंटित की गई है। जो कि वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु उपयुक्त नहीं पाई गई है।

परिक्षेत्र सनावद में दुगुने बिगडे वनक्षेत्र कक्ष क्रमांक 290 रकबा 6.5 हेक्टेयर पर क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण योजना वर्तमान दैनिक मजदूरी दर पर तैयार की जाकर मुख्य वन संरक्षक खण्डवा वृत्त खण्डवा के आदेश क्रमांक/व्यय/2025/46 खण्डवा, दिनांक 27.01.2025 के द्वारा अनुमोदित की गई है।

अतः निम्नानुसार राशि ऑनलाईन चालान द्वारा जमा करावें तथा जमा की गई राशि का यू.टी.आर. नंबर एवं दिनांक इस कार्यालय को प्रेषित करें।

क्र.	मद	परिक्षेत्र	कक्ष क्रमांक	रकबा (हे.मे.)	राशि रूपये में	रिमार्क
1	क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण योजना की राशि	सनावद	290	6.50	11200872	केम्पा मद में ऑनलाईन चालान द्वारा जमा करावें।
2	क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण योजना की 10% पर्यवेक्षण शुल्क की राशि				1120087	एम.पी. ऑनलाईन ट्रेजरी के माध्यम से राजस्व मद 0406 वानिकी एवं वन्य जीवन (01) वानिकी (800) अन्य प्राप्तियां (0229) विविध प्राप्तियां में ऑनलाईन जमा करावें।

(अनुमोदित तिवारी)

भा.व.से.

वनमण्डलाधिकारी

सामान्य वनमण्डल बड़वाह

बड़वाह, दिनांक 27.1.2025

पृष्ठां.क्रमांक/मा.चि./2025/594

प्रतिलिपि:-1. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) म.प्र. भोपाल की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित।

2. मुख्य वन संरक्षक खण्डवा वृत्त खण्डवा की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

वनमण्डलाधिकारी

सामान्य वनमण्डल बड़वाह